छोटूराम आदि बनाम डांगाराम

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
प्रकरण 9R13CPC मु.नं. -327/17	

02.04.2025 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 15.04.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

15.04.2025 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। समय अभाव के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 21.04.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

21.04.2025 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं पाए जाने पर अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक),श्रीमाधोपुर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
327 / 2017	2017 / 0000	11.11.2014	21.04.2025

उनवान

1. छोटू उर्फ घोटू पुत्र हणमान मृत्तक के बजायः–

1/1. प्रभाती देवी पत्नी गोठूराम जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर

1/2. माली यादव पुत्र गोठूराम पत्नी बोदूराम जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ससुराल पता ग्राम गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुरा राज0

1/3. महेन्द्र कुमार यादव पुत्र गोठूराम यादव जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

1/4. मुकेश कुमार यादव पुत्र गोठूराम यादव जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

1/5. मनोज कुमार यादव पुत्र गोठूराम यादव जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

1/6. कौशल्या देवी यादव पुत्री गोठूराम यादव पत्नि मक्खन जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर ससुराल पता ग्राम गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

1/7. सजना यादव पुत्र गोठूराम यादव पत्नि मंगल यादव जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर ससुराल पता ग्राम गोविन्दपुरा बासडी तहसील शाहपुरा जिला जय...

1/8. रमेश चन्द यादव पुत्र ... यादव जाति अहीर निवासी ढाणी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:30:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——प्रार्थीगण——

बनाम्

1. गंगाराम पुत्र श्योलाराम जाति अहीर निवासी ढाणी मल्लूसिंह वाली तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. भगतसिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
3. पटवारी हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
4. उप पंजीयक, उप तहसील अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर।
5. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर।

——अप्रार्थीगण——

उपस्थित—

श्री दीपक बाजिया एड0, प्रार्थीगण अभिभाषक।

श्री महावरी प्रसाद पारीक एड0, अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी बाबत निरस्त किये जाने एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2007 बमुकदमा दावा बाबत उद्घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा ब मुकदमा संख्या 1046/2002 उनवानी गंगाराम बनाम छोटू उर्फ घोटू वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

।। निर्णय ।।

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 06.12.2007 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा राजस्व प्रकरण गंगाराम बनाम छोटू उर्फ मोटू वगैरह मुकदमा नम्बर 1046/2002 प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2603 रकबा 0.92 हैक्टर वन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर व खसरा नम्बर 2604 रकबा 0.12 हैक्टर की बाबत बाला बाला प्रस्तुत कर तथा तामिल कुनिन्दा से साज कर प्रार्थी के सम्मन की तामिल सम्मन पर गलत व फर्जी रिपोर्ट चस्पानगी व इन्कारी की करवाकर तथा बाला बाला अदालत को मुगालता देकर एक पक्षीय कार्यवाही पारित करवाकर तथा एक पक्षीय साक्ष्य करवाकर दिनांक 06.12.2007 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री अवैधानिक तरीके से पारित करवायी है जिससे व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 सीपीसी निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है–

1. यह कि एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2007 प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के खिलाफ होकर निरस्तनीय है।
2. यह कि प्रार्थी/प्रतिवादी की दावा हाजा की कोई तामिल सम्मन तामिल कुनिन्दा प्रार्थी/प्रतिवादी के पास लेकर नही गया इसलिए इन्कार करने का प्रशन ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी/वादी गंगाराम ने तामिल कुनिन्दा से साज कर बाला बाला सम्मन पर गलत व फर्जी चस्पानीगी व इन्कारी रिपोर्ट करवायी गयी है तथा जिन दो गवाहो के सामने इन्कारी व चश्पानगी करना बतायी जा रही है उनके केवल मात्र नाम पते दर्ज किये गये है उनके कोई हस्ताक्षर नहीं है इससे भी तामिल सम्मन की रिपोर्ट फर्जी साबित है तथा गलत रूप से बाला बाला एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर अवैधानिक तरीके से बाला बाला एक पक्षीय कार्यवाही करवाकर अवैधानिक तरीके से प्रार्थी/प्रतिवा[illegible]दारी व कब्जा काश्त की भूमि की बाबत एक पक्षीय नि[illegible]यी है जो विधि विरुद्ध होकर अपास्त होने योग्य है। प्रार्थी/प्रति[illegible]री अपनी खातेदारी व कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2053 रकबा 0.92 हैक्टर तन ग्राम दिवराला पर पूर्ण काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु अप्रार्थी/वादी नेअप्रार्थी /प्रतिवादी संख्या-2 भगतसिंह से साज व षडयन्त्र रचकर गलत व फर्जी कार्यवाही कर औचित्यहीन राजीनामा आपस में प्रस्तुत करके न्यायालय को मुगालता देरक एक पक्षीय निर्णव व डिक्री पारित करवायी है। जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी/वादी गंगाराम का प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.92 हैक्टर से कोई संबंध या सरोकार किसी किश्म का नही है तथा उसको प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.92 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर भूमि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2504 में दर्ज करवाने को कोई अधिकार किसी किश्म का नही था तथा यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी/वादी-गंगाराम द्वारा जो तथाकथित दावा प्रस्तुत किया गया हैं वह न तो दुरूस्ती बाबत दावा का टाईटल प्रस्तुत किया गया है ना ही दुरूस्ती बाबत कोई इस्तदुवा ही है तथा ना ही कोई सीमाज्ञान व रिपोर्ट किसी राजस्व अधिकारी की करवायी गयी है इसके बावजूद भी न्यायालय को मुगालता देर अवैधानिक तरीके से एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवायी गयी है जो प्रथम दृष्टवा ही अपास्त होने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी को अप्रार्थी/वादी गंगाराम द्वारा अदालत को मुगालता देकर पारित करवपाये गये एक पक्षीय निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो सकी परन्तु अप्रार्थी संख्या-1 द्वारा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर भूमि पर जबरन कब्जा करने तथा भूमि को दिगर को विक्रय रहन अन्तरण कर दिगर का बलात कब्जा करवाने की ऐलानियां धमकी दिये जाने तथा गांव में चर्चा सुनने तथा न्यायालय में आकर जानकारी कर नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 15.10.2014 को नकल लने पर हुयी है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2007 अपास्त फरमाया जावे तथा अवैधानिक तरीके से राजस्व रिकार्ड में एक पक्षीय निर्णय व डिक्री के आधार पर वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड परिवर्तन करवाया गया है उसको दावा दायरी के समय की स्थिति बहाल करवायी जाकर मुकदमा हाजा दावा को पुनः नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पर लिया जाकर प्रार्थी/प्रतिवादी को समुचित सुनवाई व जवाब देह का अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से गुणावगुण के आधार पर वादपत्र का निस्तारण फरमाया जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नम्बर–1 की ओर से श्री महवीर प्रसाद पारीक एड0 ने वकीलतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या–2 ता 5 की नोटिस तामील होकर लौटे है, बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या– 2 ता 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर अपने द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकामान प्रार्थी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया, जिस पर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर वकील प्रार्थी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान प्रार्थी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा मृत्तक प्रार्थी के वारिसान 1/1 लगायत 1/8 को रिकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थी के वारिसान की ओर से श्री दीपक बाजिया एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी मय 151 सीपीसी का पेश किया।

प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस, वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम दिवराला कृषि भूमि खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.92 हैक्टर व खसरा नम्बर 2504 रकबा 0.12 हैक्टर में उनवानी दावा गंगाराम बनाम छोटू उर्फ घोटू वगैरह में बाला–बाला प्रस्तुत कर तथा ता[illegible] प्रार्थी के सम्मन की तामिल सम्मन पर गलत व फर्जी रिपोर्ट [illegible] की करवाकर तथा बाला–बाला अदालत को मुगालता [illegible] पारित करवाकर तथा एक पक्षीय साक्ष्य करवाकर दिनांक 06.12.2007 [illegible] एक पक्षीय निर्णय व डिकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अवैधानिक तरीके से पारित करवायी है। एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 06.12.2007 को प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के खिलाफ होकर निरस्तनीय है। प्रार्थी/प्रतिवादी को दावा हाजा की कोई तामिल सम्मन तामिल कुनिन्दा प्रार्थी/प्रतिवादी के पास लेकर नही गया इसलिए इन्कार करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अप्रार्थी/वादी गंगाराम ने तामिल कुनिन्दा से साज कर बाला-बाला [illegible] पर गलत व फर्जी चस्पानगी व इन्कारी की रिपोर्ट करवायी गयी है तथा [illegible] दो गवाहो के सामने इन्कारी चश्पानगी करना बतायी जा रही है उनके केवल मात्र नाम पते दर्ज किये गये है उनके कोई हस्ताक्षर तामिल पर नहीं है। अप्रार्थी/वादी गंगाराम का प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.92 हैक्टर से कोई संबंध या सरोकार किसी किश्म का नही है तथा उसको प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.92 हैक्टर में से 0.10 हैक्टर भूमि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2504 में दर्ज करवाने को कोई अधिकार किसी किश्म का नही था तथा यहां यह उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी/वादी-गंगाराम द्वारा जो तथाकथित दावा प्रस्तुत किया गया हैं वह न तो दुरूस्ती बाबत दाव का टाईटल प्रस्तुत किया गया है ना ही दुरूस्ती बाबत कोई इस्तदुवा ही है तथा ना ही कोई सीमाज्ञान व रिपोर्ट किसी राजस्व अधिकारी की करवायी गयी है इसके बसावजूद भी न्यायालय को मुगालता देर अवैधानिक तरीके से एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करवायी गयी है जो प्रथम दृष्टवा ही अपास्त होने योग्य है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अवगत कराया कि प्रार्थी/प्रतिवादी को अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद की तथा उसके पश्चात दिनांक 06.12.2007 को पारित डिक्री की पूर्णतया जानकारी प्रथम दिन से ही रही है। प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 2503 रकबा 0.82 हैक्टर तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को सम्वत 2070 से पहले अर्थात दिनांक 26.03.2012 को राजस्थान ग्रामीण बैंक दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर के यहा रहन रखा है उस समय भी प्रार्थी/प्रतिवादी ने अपने उक्त खाता आदि की नकल निकलवाई है तथा पटवारी व [illegible] की खातेदारी का प्रमाण पत्र भी लिया है तत्पश्चात सर्च रिपोर्ट बैंक के वकील से बनाकर सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दस्तावेज बैंक में पेश करने पर ही रहन बैंक में रखी जाती है इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी को उक्त डिक्री दिनांकित 06.12.2007 तथा उसके अनुसार खातेदारी अंकन होने का तथ्य पूर्णतया ज्ञात हो चूका था इस तथ्यों को छुपाकर गलत रूप से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया जो खारिज किए जाने का निवेदन वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2062–2065, 2066–2069 2070–2072, नक्शा ट्रैस, दावा संख्या 1046/2002 उनवानी प्रकरण गंगाराम बनाम् छोटू उर्फ घोटू वगै0 की समस्त आदेशिका, मूल वादपत्र, निर्णय व डिक्री दिनांकित 06.12.2007, प्रतिवादीगण को जारी सम्मन तामीलात इत्यादि का अवलोकन किया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी से सम्बन्धित मूल वाद पत्र में प्रतिवादीगण की तामीलों में प्रतिवादी संख्या 1 से 03 की तामील सर्वप्रथम आगामी पेशी 15.07.2002 के लिए साधारण तरीके से भिजवाई जाना तथा प्रतिवादीगण मय गवाह के सामने मकान पर चस्पा करवाई जाकर गवाह के हस्ताक्षर से होकर लौटी है। उक्त तामीलें इन्कारी से होने व गवाह के हस्ताक्षर के आधार पर प्रतिवादीगण की तामील पर्याप्त मानते हुए उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 17.02.2003 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आधार पर वादपत्र में बाद सुनवाई एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित किया जाना प्रकट होता है। उक्त सम्मन तामीलों के सम्बन्ध में वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के पास दावा हाजा का सम्मन कोई तामिल कुनिन्दा लेकर घर पर नहीं गया तथा अप्रार्थीगण ने डाक कर्मचारी से साज कर गलत तरीके से रिपोर्ट इन्कारी बाबत करवाकर गलत तरीके से एक पक्षीय कार्यवाही पारित करवाई गई है जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के पास न्यायालय द्वारा [illegible] के माध्यम से सम्मन तामीले भिजवाई गई है तथा मकान पर [illegible] हस्ताक्षरों से आना प्रकट होता है। जिसमें साधारण डाक [illegible] कार्यालय के कर्मचारी द्वारा सम्बन्धित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्राप्तकर्त्ता को डाक की अदायगी की जाती है। जो सम्बन्धित प्राप्तकर्त्ता को ही दी जाती है। सम्बन्धित प्राप्तकर्त्ता द्वारा डाक नहीं लेने की स्थिति में ही उस पर इन्कारी का नोट अंकित किया जाता है। वकील प्रार्थीगण का यह कथन कि डाक कर्मचारी से साज कर गलत तरीके से तामील पर रिपोर्ट इन्कारी बाबत रिपोर्ट करवाया जाना सन्देहास्पद प्रतित होता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी के द्वारा सरकारी काम काज मे किसी भी प्रकार की साज करना प्रकट नहीं होता है। दावा संख्या 1046/2002 उनवानी प्रकरण गंगाराम बनाम् छोटू उर्फ घोटू वगै0 में फैसला दिनांक 06.12.2007 को कर दिया गया था। यदि प्रार्थी/प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का अहित होता तो वो कोर्ट में उसी समय अपना पक्ष रख सकते थे। लेकिन अप्रार्थी/वादी ने अवगत कराया कि प्रार्थी/प्रतिवादी ने 26.3.2012 को राजस्थान ग्रामीण बैंक दिवराला से उक्त भूमि को रहन रख ऋण प्राप्त किया है तब भी उक्त जमाबंदी/निर्णय का ज्ञान प्रार्थी/प्रतिवादी को हो गया था लेकिन उन्होंने उसके भी 2 वर्ष बाद 11.11.2014 को न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी लाकर पक्ष रखा। यदि प्रार्थी को किसी भी प्रकार का अहित होता तो वे 2012 में ही न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 का पेश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिससे स्पष्ट होंता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का अहित नहीं होना प्रकट होता है।

सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में वर्णित अनुसार **प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करना**— *किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवोई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा;*

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित की गई एक पक्षीय डिक्री मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई सम्मन तामीलात पर एक पक्षीय कार्यवाही को अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में [illegible] का अवलोकन कर नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन होने [illegible] होने व प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया व प्रावधानों के तहत [illegible] सम्बन्ध में परीक्षण किया जाना है। जिसके लिए सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 मे स्पष्ट प्रावधान किये गये है। सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

19 की पालना की गई है या नहीं इस आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी में अन्तिम निर्णय पारित किया जाना होता है।

हस्तगत प्रकरण में तामीलात का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण को विधिक प्रकिया व प्रावधानों के तहत तामील करवाया जाना प्रकट होता है। तामील कुनिन्दा द्वारा प्रतिवादीगण के घर पर सम्मन को चस्पा किया जाना तथा तामील के पृष्ठांकन पर तामील कुनिन्दा का नाम व गवाहान् के हस्ताक्षर होना प्रकट होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि तामील कुनिन्दा व तहसील के सरकारी कार्मिक के द्वारा समुचित व वैधानिक तरीके से तामील करायी जाना प्रकट होता है। साथ ही 26.03.2012 को बैंक ऋण प्राप्ति के वक्त भी प्रार्थी/प्रतिवादी को न्यायालय के उक्त निर्णय का ज्ञान हो जाना प्रकट होता हैं, बावजूद इसके 2 वर्ष बाद 11.11.2014 को आदेश 9 नियम 13 सीपीसी लाया जाता है जो परिसीमा की अवधि में भी नहीं आना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 21.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 16:00:09 IST
Reason: SelfAttested